भाग ख

पूंजी प्राप्तियां

पूंजी प्राप्तियों के अनुमान

निम्न विवरण में पूंजी प्राप्तियों के अनुमानों का मोटे तौर पर श्रेणीवार संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। 2001–2002 के बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच तथा 2001-2002 के संशोधित अनुमानों और बजट 2002–2003 अनुमानों के बीच होने वाली घट-बढ़ का स्पष्टीकरण देने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों के साथ अतिरिक्त ब्यौरा इस विवरण के बाद की टिप्पणियों में दिया गया है। विवरण में शामिल उधार और अन्य ऋण वापसी अदायगियों को घटाकर दिये गये हैं।

(करोड़ रुपए)

	बजट 2001–2002	संशोधित 2001–2002	बजट 2002–2003
1. बाजार ऋण	72852.53	88280.00	95859.00#
2. अल्पावधि उधार	4500.00	3200.00	...
3. विदेशी सहायता (निवल)	1864.85	2054.14	770.36
4. ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	15163.68	15143.00	17680.00
5. सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में इक्विटी धारिता का विनिवेश	12000.00	5000.00	12000.00
6. लघु बचतों के एवज में जारी प्रतिभूतियां	9000.00	8640.00	8000.00
7. राज्य भविष्य निधियां (निवल)	9500.00	9000.00	10000.00
8. गैर-सरकारी भविष्य-निधियों, जीवन बीमा निगम आदि की विशेष जमा (निवल)	10252.57	10831.07	9898.20
9. अन्य प्राप्तियां (निवल)	8344.17	5912.53	10997.01
जोड़-प्राप्तियां (निवल)*	**143477.80**	**148060.74**	**165204.57**

बजट अनुमान 2002-2003 में सरकार के राजस्व पर बजट प्रस्तावों के निवल प्रभाव को हिसाब में लिया गया है।

* *अनुबंध 9 में उपर्युक्त अनुमानों का मिलान वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित प्राप्तियों के अनुमानों के साथ प्रस्तुत किया गया है।*

1. बाजार ऋणः

वर्ष 1992-93 में भारत सरकार ने दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी द्वारा बिक्री की योजना शुरू की, जिसका संचालन मुम्बई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। यह विशिष्ट ब्याज दरों पर ऋण जारी करके बाजार ऋण जुटाने की पहले की चल रही प्रथा से अलग था। नीलामियों के द्वारा खुले बाजार से जुटायी गई उधार की धनराशि के अलावा, राजकोषीय हुण्डियों के दिनांकित प्रतिभूतियों में रुपांतरण ब्याज रहित परन्तु छूट पर बेचे जाने वाले जीरो-कूपन बाण्ड, किश्तों में भुगतान किये जाने वाले स्टाक, अस्थाई दर बॉण्ड, पूंजी सूचकांकित बॉण्ड आदि जैसे अन्य साधनों से भी ऋण जुटाये जाते है। वर्ष 2001-2002 के दौरान सरकार ने सरकारी स्टॉकों की खुदरा बिक्री स्कीम भी प्रारम्भ की है।

वित्तीय वर्ष 2001–2002 के दौरान अर्थात 12 फरवरी, 2002 के अंत तक बाजार-ऋण के विभिन्न साधनों से सकल आधार पर 1,11,000.00 करोड़ रुपए की धनराशि जुटाई गई।

बजट अनुमान, 2002-2003

निम्नलिखित ऋणों को जिनकी बकाया राशि उनके सामने दर्ज कर दी गई है, वर्ष 2002-2003 में विमोचित किया जाएगाः

(करोड़ रुपए)

	12.69% सरकारी स्टॉक 2002	3000.00
	11% ऋण, 2002	2951.98
	7.75% ऋण, 2002	64.56
	13.80% सरकारी स्टॉक 2002	1500.00
	13.40% सरकारी स्टॉक 2002	1000.00
	5.75% ऋण, 2002	388.58
	12.75% सरकारी स्टॉक 2002	1000.00
	11.68% सरकारी स्टॉक 2002	2500.00
	11.15% सरकारी स्टॉक 2002	5000.00
	13.82% सरकारी स्टॉक 2002	2000.00
	6.50% ऋण, 2002	310.25
	11.55% सरकारी स्टॉक 2002	2000.00
	6% पूंजी इन्डेक्स बांड, 2002	704.52
	जोड़	**22419.89**
जोड़िए	11.15% सरकारी स्टॉक 2002*	5000.00
	कुल जोड़	***27,419.89***

* *विशेष प्रतिभूतियों को विक्रेय प्रतिभूतियों में रुपान्तरित किया गया है।*

2. अल्पावधिक उधार (182/364 दिवसीय राजकोषीय हुंडियां):

ये राजकोषीय हुंडियां वित्तीय संस्थाओं (जैसे बैक इत्यादि) और अन्य पक्षों को अल्पावधिक निवेश अवसर प्रदान करती है। 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां वर्ष 1992-93 से शुरु की गई थीं जबकि वर्ष 1999-2000 से पुनः शुरु की गई 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों को दिनांक 14.5.2001 के बाद बंद कर दिया गया है। 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनर्बट्टा नहीं किया जाता और उन्हें मुम्बई स्थित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीलामी आधार पर आवधिक रुप से बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियां बाजार ऋणों का हिस्सा होती है।

3. **विदेशी सहायताः**

बजट 2001–2002 में विदेशी सहायता (विदेशी अनुदानों को छोड़कर) से 1146.10 करोड़ रुपए की सकल प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। इसके मुकाबले 2001–2002 के संशोधित अनुमान में 11297.50 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। 2002-2003 में 11333.82 करोड़ रुपए की सकल प्राप्ति होने का अनुमान है।

2001–2002 के बजट में वापसी-अदायगियों के लिए 9598.25 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जबकि संशोधित अनुमानों में 9243.36 करोड़ रुपए की वापसी की व्यवस्था की गई है। 2002-2003 में वापसी-अदायगियों के लिए 10563.46 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है।

इस प्रकार विदेशी सहायता से होने वाली निवल प्राप्तियों की राशि 2001–2002 के संशोधित अनुमानों में 2054.14 करोड़ रुपए दिखाई गई है। बजट अनुमान 2002-2003 में निवल प्राप्तियां 770.36 करोड़ रुपए दिखायी गयी है।

2001–2002 तथा 2002-2003 में विदेशी सहायता की प्राप्तियों और मूलधन की वापसी–अदायगियों के अनुमान का सारांश नीचे दिया गया हैः

(करोड़ रुपए)

	बजट 2001-2002	संशोधित 2001-2002	बजट 2002-2003
क. प्राप्तियां			
(i) विदेशी ऋण	*10763.35*	*11197.50*	*11183.82*
(ii) परिक्रामी निधि के अन्तर्गत प्राप्तियां	*699.75*	*100.00*	*150.00*
जोड़-प्राप्तियांः	**11463.10**	**11297.50**	**11333.82**
ख. वापसी-अदायगियां	(-) **9598.25**	(-) **9243.36**	(-) **10563.46**
निवल प्राप्तियां	**1864.85**	**2054.14**	**770.36**

और ब्यौरे इस दस्तावेज के अनुबंध 2 में दिए गए हैं।

4. **ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां**

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) और गैर-सरकारी पक्षों को दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली का अनुमान इस प्रकार हैः–

वसूलियांः			
(i) राज्य सरकारों से	10636.73	10285.20	13300.64
(ii) संघ राज्य क्षेत्रों से (विधानमंडल वाले)	174.25	126.76	162.57
(iii) अन्य से	4352.70	4731.04	4216.79
(क) विदेशी सरकारों से	52.80	30.20	51.80
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों सांविधिक निकायों आदि से	4299.90	4700.84	4164.99
जोड़-ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	**15163.68**	**15143.00**	**17680.00**
(क) राज्य सरकारों से वसूलियों में अल्पावधिक अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित नहीं हैं	2000.00	3000.00	2000.00
(ख) गैर-सरकारी पक्षों से वसूलियों में सरकारी कर्मचारियों आदि से वसूलियां सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें व्यय में से घटाया जाता है	325.00	390.00	400.00

(i) (क) और (ख):- सरकार द्वारा यथास्वीकृत आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में 1983-84 तक राज्य सरकारों को दिए गए केन्द्रीय ऋणों और 1984-85 के अन्त की स्थिति के अनुसार बकाया ऋणों को समेकित किया गया है। समेकन के प्रयोजनों हेतु वित्त आयोग ने 1978-79 तक दिए गए ऋणों और 1979-84 के दौरान दिए गए ऋणों को भिन्न-भिन्न रूपों में माना था। हालांकि कुछ राज्यों के मामले में 1979 से पहले दिए गए ऋणों की शर्तों में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की गई है, फिर भी दूसरों के मामले में इन ऋणों को 25 वर्षीय ऋणों के रूप में या 30 वर्षीय ऋणों के रूप में समेकित किए जाने की सिफारिश की गई है। जहां तक 1979-84 के दौरान दिए गए ऋणों का संबंध है, सभी राज्यों के मामले में इन्हें 15 वर्षों से लेकर 30 वर्षों की अवधि वाले ऋणों के रूप में समेकित किया गया है। नौवें वित्त आयोग ने 1989-90 के लिए अपनी पहली रिपोर्ट तथा 1990-95 के लिए दूसरी रिपोर्ट में तथा दसवें वित्त आयोग और ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इन समेकित ऋणों के संबंध में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है।

(ग) सरकार द्वारा यथास्वीकृत वर्ष 1990-95 की अवधि के लिए नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसरण में 1984-89 के दौरान राज्य सरकारों को दिए गए राज्य आयोजना ऋणों तथा 1989-90 के अन्त में बकाया ऋणों को 15 वर्षीय ऋणों में समेकित किया गया है। दसवें वित्त आयोग ने और ग्यारहवें वित्त आयोग ने इन समेकित ऋणों के संबंध में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है।

(घ) सरकार द्वारा यथास्वीकृत वर्ष 1990-95 की अवधि के लिए नौवें वित्त आयोग की दूसरी रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसरण में 1986-87 तक संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में गोआ तथा मिजोरम सरकार द्वारा आयोजनाओं के लिए प्राप्त किए गए अतिरिक्त केन्द्रीय ऋणों को बट्टे खाते में डालने के उपरान्त 31.3.1990 को यथा विद्यमान शेष बकाया राशियों को 15 वर्षीय ऋणों में समेकित किया गया है।

(ङ) इन अनुमानों का संबंध 1984-85 से 1989-90 की अवधि हेतु राज्य आयोजना स्कीमों के लिए दिए गए ऋणों को छोड़कर 1984-85 से मंजूर किए गए अन्य ऋणों से है जिन्हें समेकित किया गया था (उपर्युक्त (ग) देखें)। हालांकि 2000–2001 के मूल बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमानों का संबंध 1984-85 से 1997-98 के दौरान आयोजना तथा आयोजना-भिन्न प्रयोजनों के लिए दिए गए ऋणों के संबंध में की गई वसूलियों से है, फिर भी बजट 2001-2002 उन वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों तथा 1998-99 के दौरान भी दिए गए ऋणों पर आधारित है।

1990-91 से आगे की राज्य आयोजनाओं के लिए मंजूर किए गए ऋणों की परिपक्वता अवधि 20 वर्षों की होगी, जिसकी वापसी-अदायगी 20 समान वार्षिक किश्तों में की जाएगी। तथापि, इनके पचास प्रतिशत ऋणों को पांच वर्ष की आरम्भिक रियायत अवधि मिलेगी जिसके उपरान्त इन ऋणों की वापसी-अदायगी 15 समान वार्षिक किश्तों में की जाएगी। दसवें वित्त आयोग ने 1995-2000 के लिए अपनी रिपोर्ट में इन ऋणों के संबंध में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है।

(च) लघु बचत ऋण भी उन ऋणों में आते हैं जो आठवें वित्त आयोग के समेकन की स्कीम में शामिल नहीं है। इन ऋणों की वसूली, जिसे पहले रोक दिया गया था, 1985-86 से फिर शुरू कर दी गई है। नौवें, दसवें और ग्यारहवें वित्त आयोग ने लघु बचत संग्रहणों के एवज में केन्द्रीय ऋणों से संबंधित मौजूदा शर्तों में किसी परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया है। निवल लघु बचत संग्रहणों की राशीयों का राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल वाले सहित) को किया गया अंतरण दिनांक 1.4.1999 से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधान मंडल वाले सहित) को विशेष प्रतिभूति में निवेश के रुप में है और ये भारत की समेकित निधि से ऋण रुप में नहीं है।

मूलधन की वापसी-अदायगी के लिए इन ऋणों पर 5 वर्षों का अधिस्थगन काल होगा और वापसी-अदायगी की अवधि अधिस्थगन काल सहित 25 वर्षों की है। अगले वर्ष में वृद्धि 1992–93 में दिए गए ऋणों की वापसी-अदायगी की किश्त शुरु होने के कारण है।

(छ) दसवें वित्त आयोग ने प्रत्येक राज्य के राजकोषीय निष्पादन से जुड़ी ऋण राहत के लिए एक स्कीम की सिफारिश की हैं। आयोग की अवार्ड अवधि के दौरान स्वीकार्य ऋण राहत को राज्य के राजकोषीय निष्पादन के साथ जोड़ा गया है। राजकोषीय निष्पादन में सुधार को किसी वर्ष में राजस्व प्राप्तियों (केन्द्र से अन्तरण और अनुदानों सहित) के अनुपात की कुल राजस्व व्यय से तुलना करके मापा जाता है, जिसमें तीन तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों के इसी माप का औसत निकाला जाता है। 1989-95 के दौरान राज्यों को दिए गए केन्द्रीय ऋणों के संबंध में देय होने वाली वापसी अदायगी के एक निश्चित प्रतिशत (शून्य से लेकर 10 प्रतिशत तक) को बट्टे-खाते डालने के रूप में और 31 मार्च, 1995 को बकाया ऋण राहत दी जानी है। राहत का प्रतिशत राजकोषीय सुधार के प्रतिशत का दुगना होगा। 1999-2000 के दौरान देय राहत 2000-2001 में दी जानी है।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने दसवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण राहत की स्कीमों को जारी रखने की सिफारिश की है और अपनी अवार्ड अवधि के दौरान राज्यों के लिए प्रोत्साहन में वृद्धि की है। इसने सिफारिश की है कि किसी राज्य की राजस्व प्राप्तियों के परिकलन में राजस्व घाटा अनुदानों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। राहत का प्रतिशत राजकोषीय सुधार के प्रतिशत का पांच गुणा होगा। 1994-99 के दौरान राज्यों को दिए गए केन्द्रीय ऋणों के सम्बन्ध में देय होने वाली वापसी अदायगी के शून्य से पच्चीस प्रतिशत के बीच और 31 मार्च 1999 को बकाया की ऋण राहत दी जानी है।

(ज) यह वसूली उड़ीसा सरकार को हीराकुड चरण-I के लिए दिए गए ऋणों से संबंधित है, जिन्हें समेकन स्कीम में शामिल नहीं किया जाता है।

वर्ष 2000–2001 के लिए संशोधित अनुमान में राज्यों को ऋण राहत के संबंध में दसवें वित्त आयोग की सरकार द्वारा यथास्वीकृत सिफारिशों को हिसाब में लिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1984-85 से 1993-94 तक पंजाब सरकार को दिए गए विशेष आवधिक ऋृण के संबंध में वर्ष 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के लिए शेष अदत्त किस्तों के लिए पंजाब राज्य सरकार की वापसी-अदायगी देनदारी को माफ कर दिया जाए। संशोधित अनुमान 2000-2001 में 759.35 करोड़ रुपए की माफी शामिल है।

(ii) **संघ राज्यक्षेत्रों (विधान-मंडल सहित) से वसूलियां**: ये वसूलियां संघ राज्यक्षेत्र पांडिचेरी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में है।

(iii) **अन्यों द्वारा वापसी-अदायगी**: संशोधित अनुमान, 2001–2002 में राज्य तथा संघ शसित प्रदेशों की सरकारों को छोड़कर अन्य पार्टियों, अर्थात् विदेशी सरकारों, सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों तथा वित्तीय संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पत्तन न्यासों तथा निजी क्षेत्र की कम्पनियों और संस्थाओं, सहकारी समितियों आदि से ऋणों की वसूलियों के रूप में 4731.04 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। 2002-2003 के दौरान 4216.79 करोड़ रुपए की वापसी-अदायगियों का अनुमान लगाया गया है। इनका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार हैः–

(करोड़ रुपए)

	बजट 2001-2002	संशोधित 2001-2002	बजट 2002-2003
(क) विदेशी सरकारें	52.80	30.20	51.80
(ख) सरकारी क्षेत्र के उद्यम, सांविधिक निकाय, आदि	4299.90	4700.84	4164.99
जोड़	**4352.70**	**4731.04**	**4216.79**

5. **सरकारी क्षेत्र के उद्यमों और विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में इक्विटी धारिताओं का विनिवेश**

ये प्राप्तियां सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा उद्यमों की इक्विटी पूंजी में केन्द्रीय सरकार की धारिताओं के आंशिक विनिवेश के कारण हैं।

6. **(क) राष्ट्रीय लघु बचत निधि**

(i) **राष्ट्रीय लघु बचत निधिः** भारतीय लोक लेखा में 1.4.1999 को एक "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" (एनएसएसएफ) की स्थापना की गई थी। सरकारी खातों के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में "राष्ट्रीय लघु बचत निधि" नामक एक नया उप-क्षेत्र शुरु किया गया है। सभी लघु बचत संग्रहण (लोक भविष्य निधि सहित) इस निधि में जमा किए जाते है। इसी प्रकार जमाकर्ताओं द्वारा लघु बचत योजनाओं के तहत सभी आहरण इस निधि में जमाराशि से किए जाते हैं। इस निधि में शेष राशि का केन्द्रीय और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। निवेश पद्धति भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्णीत मानदंडों के अनुसार है। वर्ष 2000-01 से राष्ट्रीय लघु बचत निधि द्वारा निवल संग्रहणों (सकल संग्रहण में जमाकर्ताओं द्वारा निकासियों को घटाकर) का 80 प्रतिशत और 20 प्रतिशत क्रमशः राज्य और केन्द्र सरकारों द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियों में निवेश किया जा रहा है। इन सरकारी प्रतिभूतियों का ऋणशोधन निधि की आय है जबकि ब्याज की लागत और लघु बचत स्कीमों का प्रबंधन निधि का व्यय है।

(ii) "केन्द्र सरकार द्वारा एनएसएसएफ को जारी" विशेष प्रतिभूतियां भारत सरकार के आन्तरिक ऋण का हिस्सा होती हैं।

(iii) वर्ष 2001-02 के दौरान सम्बन्धित सरकारों द्वारा जारी इन विशेष प्रतिभूतियों पर 11 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज दिया जाता है।

(iv) **राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों का हिस्साः** इस समय प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) में लघु बचत स्कीम के अधीन निवल संग्रहणों का 80 प्रतिशत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले) की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, अगर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल वाले) में निवल लघु बचत संग्रहणों का प्रतिशत अखिल भारतीय प्रतिशत से 5 प्रतिशत अधिक हो जाता है तो स्थिर दीर्घावधि बचतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) की सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में अतिरिक्त निवेश

किया जाता है। यह अतिरिक्त निवेश अखिल भारतीय प्रतिशत की तुलना में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल वाले) में प्रत्येक 5 प्रतिशत वृद्धि के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल वाले) में निवल संग्रहणों के 2.5 प्रतिशत तक है।

(v) राष्ट्रीय लघु बचत निधि के स्रोत और उपयोग नीचे दी गई सारणी में दर्शाए गए हैं:-

सारणी-1

31 मार्च की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय लघु बचत निधि का स्रोत तथा उपयोग

(करोड़ रुपए)

	2000-2001 (वास्तविक अनन्तिम)	2001-2002 (स. अ.)	2002-2003 (ब. अ.)
निधियों के स्रोत			
बचत जमा राशियां			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	60638.68	80653.72	104298.72
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	20015.04	23645.00	23350.00
बचत प्रमाण-पत्र			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	122246.22	138040.74	148445.74
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	15794.52	10405.00	7530.00
लोक भविष्य निधि			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार बकाया देयताएं	31906.55	41454.23	50604.23
वर्ष के दौरान देयताओं में वृद्धि	9547.68	9150.00	9120.00
कुल जमा राशि	**260148.69**	**303348.69**	**343348.69**
निधियों का उपयोग			
दिनांक 31.3.1999 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष राशियों पर केद्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	176220.92	176220.92	176220.92
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	...	...	...
दिनांक 1.4.1999 से संग्रहित राशियों पर केन्द्र सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	8978.88	17295.14	25935.14
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	8316.26	8640.00	8000.00
दिनांक 1.4.1999से संग्रहणों पर राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियों में निवेश			
1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार निवेश	26936.65	60201.70	94761.70
वर्ष के दौरान अतिरिक्त निवेश	33265.05	34560.00	32000.00
प्रतिभूतियों में कुल निवेश	**253717.76**	**296917.76**	**336917.76**
बकाया आय/व्यय लेखा	5209.68	4777.02	6211.62
नकद बकाया	1221.25	1653.91	219.31
जोड़	**260148.69**	**303348.69**	**343348.69**

(vi) राष्ट्रीय लघु बचत निधि के विभिन्न संघटकों अर्थात (रा.ल.ब.नि. की प्राप्तियां,संवितरण, निवेश आय और व्यय) के बारे में ब्यौरा वर्ष 2000-2001 के "वास्तविक" (अनन्तिम) ब.अ. और स.अ. 2001-02 तथा ब.अ. 2002-03 में दिया गया है और जिन्हें अनुबंध -8 में सारणीबद्ध किया गया है।

(vii) **लघु बचत योजनाएं**- वर्तमान में जो लघु बचत योजनाएं चल रही है, वे डाकघर बचत खाते, डाकघर सावधि जमा, डाकघर आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत योजना 1992, डाकघर मासिक आय खाता, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र viii निर्गम, किसान विकास पत्र और लोक भविष्य निधि हैं।

6. **(ख) सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजनाएं**

सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए दो गैर-सांविधिक जमा योजनाएं हैं, अर्थात-सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए जमा योजना तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजना जिन्हें भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन योजनाओं के अधीन सकल और निवल संग्रहणों के बजट अनुमान नीचे सारणी 2 में दिखाई गए हैं :

सारणी II

(करोड़ रुपए)

	2000-01 वास्तविक अनन्तिम	2001-02 (स. अ.)	2002-03 (ब. अ.)
सकल	271	700	800
निवल	244	650	720

7.**राज्य भविष्य निधियां:** इस शीर्ष के अन्तर्गत दिखाए जाने वाले लेनदेन सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न भविष्य निधियों से सम्बद्ध होते हैं। परिकल्पित क्रेडिट निधियों में जमा की गई राशि ब्याज सहित तथा उसमें से निकासियों/अस्थाई अग्रिमों की कम की गई निवल राशि है। पहली अप्रैल, 2000 से जमा रकमों पर 11 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाता है। 2000–2001 के बजट में इन निधियों में कुल 7500 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति का अनुमान था जिसकी तुलना में संशोधित अनुमान 8500 करोड़ रुपए है। वर्ष 2001-2002 के बजट में 9500 करोड़ रुपए की निवल प्राप्ति आंकी गई है।

8. **विशेष जमा योजनाएं:** गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता और उपदान निधियों और जीवन बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदि की अधिशेष निधियों से सरकार के पास विशेष जमाओं में प्राप्त राशियां संशोधित अनुमान 2000-2001 में 9215.27 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। बजट अनुमान 2001–2002 में इस मद में 10252.57 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

9. **अन्य प्राप्तियांः** इनके अन्तर्गत अन्य निधियों और खातों, जमाराशियां आदि शीर्षों के अन्तर्गत होने वाले लेनदेनों के निवल प्रभाव को प्रदर्शित किया जाता है। इनमें सम्मिलित कुछ मदें इस प्रकार हैंः

(i) ***राहत बांडः*** 10% राहत बाण्ड, 1993 को 15 मार्च, 1993 से शुरु किया गया जिसने 9% राहत बाण्ड 1987 को प्रतिस्थापित किया। ब्याज-दरों में सामान्य गिरावट होने से 10% राहत बाण्डों का निर्गम बंद कर दिया गया और 9% राहत बाण्ड, 1993 की नई श्रृंखला 2.9.1993 से आरंभ की गई। तथापि, 1995-96 में ब्याज दरों की सामान्य वृद्धि को ध्यान रखते हुए 10% राहत बांड, 1995 की एक नई श्रृंखला 4.10.1995 में शुरु की गई। इसके अलावा कुछ लघु बचत पत्रों के मामले में ब्याज दर कम किये जाने के अनुरुप राहत बाण्डों में ब्याज दर 1 प्रतिशत कम कर दी गई और 1.1.1999 से 9 प्रतिशत राहत बाण्ड, 1999 तथा 15.3.2001 से 8.5% राहत बाण्ड, 2001 नामक एक नई श्रृंखला शुरु की गई। यह व्यक्तियों और हिन्दू अविभाजित परिवार के लिए बिना किसी सीमा के निवेश हेतु खुली है। व्यक्तियों द्वारा बाण्डों की संयुक्त धारिता की अनुमति है। बाण्डों पर कर-मुक्त ब्याज मिलता है और उनकी परिपक्वता अवधि 5 वर्ष है। 2001-2002 के बजट अनुमान में, वापसी-अदायगियां घटाकर, बाण्डों की बिक्री 3000 करोड़ रु. तक होने का अनुमान था। इसकी तुलना में, 2001–2002 के संशोधित अनुमान में 4500 करोड़ रु. की व्यवस्था की गई है। बजट अनुमान 2002-2003 में भी 6500 करोड़ रुपये की निवल प्राप्ति का अनुमान है।

(ii) ***रेलवे प्रारक्षित निधियांः***

(करोड़ रुपए)

	बजट 2001-2002	संशोधित 2001-2002	बजट 2002-2003
रेलवे पेंशन निधि			
जमा	6012.33	5809.24	6223.89
नामे	5800.00	5600.00	6000.00
निवल	(+) 212.33	(+) 209.24	(+) 223.89
रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि			
जमा	2811.06	1896.70	2107.35
नामे	2704.00	1572.00	2045.00
निवल	(+) 107.06	(+) 324.70	(+) 62.35
रेलवे विकास निधि			
जमा	511.03	452.03	550.04
नामे	511.00	452.00	550.00
निवल	(+) 0.03	(+) 0.03	(+) 0.04
रेलवे पूंजीगत निधि			
जमा	18.91	18.93	19.03
नामे	17.43	17.43	17.43
निवल	(+) 1.48	(+) 1.50	(+) 1.60
रेलवे सुरक्षा निधि			
जमा	311.77	302.73	452.73
नामे	300.00	203.00	450.00
निवल	(+) 11.77	(+) 99.73	(+) 2.73
विशेष रेलवे सुरक्षा निधि	...	1400.00	2210.00
जमा	...	1400.00	2210.00
नामे	...	...	...
निवल			
जोड़	**(+) 332.67**	**(+) 635.20**	**(+) 290.61**

(क) *रेलवे पेंशन निधिः* रेलवे पेंशन निधि रेलवे कर्मचारियों के पेंशन प्रभारों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है। हर साल इस निधि में उपयुक्त रकम अन्तरित की जाती है और यह रकम राजस्व और पूंजी व्यय शीर्षों में नामे डाल दी जाती है। पेंशन संबंधी प्रभारों को शुरू में राजस्व शीर्षों के भाग के रूप में पूरा किया जाता है और बाद में निधि से उसकी भरपाई की जाती है। वर्ष 2001–2002 में निधि में 5809.24 करोड़ रुपए की रकम जमा होने का अनुमान है जिसमें निधि की बकाया रकमों पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में 9.24 करोड़ रुपए शामिल था। निधि से 5600 करोड़ रुपए निकाले जाने का अनुमान था। वर्ष 2002-2003 के दौरान इस निधि में 23.89 करोड़ रुपए के ब्याज सहित 6223.89 करोड़ रुपए की रकम जमा होने के अनुमान है। इसकी तुलना में 6000 करोड़ रुपए की रकम की निकासी का अनुमान है।

(ख) *रेलवे मूल्यह्रास प्रारक्षित निधि :* इस निधि में सुधारात्मक कार्यों सहित परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन और नवीकरण की व्यवस्था की जाती है। अनुमान है कि इस निधि में 2001–2002 में सामान्य राजस्व से 16.26 करोड़ रुपए के ब्याज की अदायगी सहित अंशदान 1896.70 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। 2001-2002 में 1572.00 करोड़ रुपए के बहिर्गमन का अनुमान है। 2002-2003 के संबंध में क्रेडिट 2107.35 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें ब्याज से संबंधित 3.43 करोड़ रुपए शामिल है। निकासी 2045 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।

(ग) *रेलवे विकास निधिः* रेलवे विकास निधि की स्थापना 1950 में रेलवे अभिसमय समिति, 1949 की सिफारिशों के आधार पर की गई थी जिसका उद्देश्य यात्रियों के लिए और रेलों का उपयोग करने वाले अन्य लोगों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए किए जाने वाले सभी निर्माण कार्यों का खर्च, श्रमिक कल्याण कार्य संबंधी खर्च तथा उन सभी अलाभकारी सुधार कार्यों का खर्च पूरा करना है, जिनमें से प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित सीमा से अधिक खर्च होता है। दिनांक 1.4.93 से दुर्घटना क्षतिपूर्ति और यात्री सुविधा निधि को समाप्त किए जाने के परिणाम स्वरूप ए.सी.एस.पी.एफ. को प्रभार्य सुरक्षा और यात्री सुविधा कार्यो को भी अब रेलवे विकास निधि में प्रभारित किया जाता है। इस निधि के लिए धन की व्यवस्था रेलों के आधिक्य, यदि कोई हो, के उस भाग के विनियोग से की जाती है, जिसका सरकार द्वारा निर्धारण किया जाता है और जिसकी स्वीकृति संसद द्वारा दी जाती है। यदि रेलवे आधिक्य के एक भाग की रकम निधि में अंतरित करने के बाद इस निधि में इकट्ठी होने वाली रकम उन कार्यों के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी न हो जिसका खर्च इस निधि से पूरा किया जाता

है, तो निधि में जमा करने के लिए सामान्य राजस्व निधि से ब्याज पर ऋण लिए जाते हैं। वर्ष 2001–2002 के दौरान रेलवे विकास निधि को 452.03 करोड़ रुपए के क्रेडिट का अनुमान लगाया गया था, 4520.00 करोड़ रुपए वर्ष 2001–2002 में अधिक हुई अनुमानित राशि में से और 0.03 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर सामान्य राजस्व द्वारा देय ब्याज के रूप में होगा। वर्ष 2001–2002 के दौरान निधि में से निकाली गई राशियां अनुमानतः 452.00 करोड़ रुपए हैं। 2002-2003 के दौरान निधि मे क्रेडिट 550.04 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, 550.00 करोड़ रुपए 2002-2003 में अधिक होने वाली अनुमानित राशि में से और 0.04 करोड़ रुपए निधि में शेष राशि पर देय ब्याज के रूप में होगा। वर्ष 2002-2003 के दौरान निकाली गई राशियां 550 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें निधि को प्रभार्य कार्य शामिल होंगे।

(घ) *रेलवे पूंजी निधिः* को 1992-93 से आरम्भ किया गया था। इस निधि का सृजन इसलिए किया गया है कि रेलवे के आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के लिए रेलवे आन्तरिक रूप से सृजित संसाधनों के एक भाग का उपयोग कर सके। पूंजीगत निधि का वित्तपोषण करने में रेलवे राजस्वों के कम पड़ने की स्थिति में निधि में क्रेडिट करने हेतु सामान्य राजस्व से सब्याज ऋण लिया जाता है। वर्ष 2001–2002 के दौरान निधि में जमा राशि 18.93 करोड़ रुपये होने का अनुमान है और उसमें ब्याज के रुप में देय 1.50 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। जबकि 2000-2001 में सामान्य राजस्व के ऋण के रुप में ली गई राशि 249.00 करोड़ रुपए तथा उस पर ब्याज में ली गई राशि 17.43 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। 2002-2003 में निधि में 19.03 करोड़ रुपए का क्रेडिट होने का अनुमान है जिसमें निधि के शेष पर 1.60 करोड़ रुपए के देय ब्याज की राशि शामिल है। 2002-2003 में 2001-2002 की तरह 17.43 करोड़ रुपए की निकासी होने का अनुमान है।

(ङ) *रेलवे सुरक्षा निधिः* इसकी स्थापना व्यक्ति की तैनाती रहित लेवल क्रासिंग के परिवर्तन और अत्यधिक यातायात वाले लेवल क्रासिंगों में रेलवे पुलों के निर्माण से संबंधित सुरक्षा कार्यो के वित्त पोषण के लिये दिनांक 1.4.2001 से की गई है। इस निधि का वित्तपोषण रेलवे राजस्वों अर्थात् सामान्य राजस्वों के लाभांश भुगतान के बाद बच गई अतिरिक्त धनराशि, केंद्रीय सड़क निधि से सरकार द्वारा निधियों के अंतरण और सामान्य राजस्वों को भुगतान किये जा रहे लाभांश से रेलवे सुरक्षा निर्माण कार्यों के लिए इस समय किये जा रहे अंशदान से किया जाएगा। यह बिना ब्याज वाली निधि है। इस निधि में 2002-2003 के दौरान जमा राशि 302.73 करोड़ रुपए रखी गई है। निधि से 203 करोड़ रुपए के आहरण किये जाने का अनुमान है। 2002-2003 के दौरान 452.73 करोड़ रुपए का क्रेडिट तथा 450.00 करोड़ रुपए के आहरण का अनुमान है।

(च) *विशेष रेलवे सुरक्षा निधिः* रेलवे सुरक्षा पुनरीक्षण समिति (1998) की सिफारिश के अनुसरण में चालू वर्ष में 17000 करोड़ रुपए की राशि के साथ विशेष रेलवे सुरक्षा निधि की स्थापना की गई है जिससे 6 वर्षों की निश्चित अवधि के प्रतिस्थापन संबंधी बकायों को निपटाया जा सके तथा बहुत पुरानी रेसवे परिसम्पत्तियों का नवीकरण किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए, जैसा कि सरकार द्वारा सहमति प्रदान की गई है, 12000 करोड़ रुपए की राशि वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी तथा शेष 5000 करोड़ रुपए की राशि यात्री किराए पर सुरक्षा उप प्रभार लगा कर रेलवे द्वारा जुटाई जाएगी। विशेष रेलवे सुरक्षा निधि ब्याज रहित निधि है।

चालू वर्ष के दौरान, 1400 करोड़ रुपए की राशि इस निधि में क्रेडिट की जा रही है जिसमें सामान्य राजस्व से प्राप्त 1000 करोड़ रुपए तथा रेलवे के हिस्से के रुप में 400 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। निधि में से बहिर्गमन की राशि 1400 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। 2002-2003 के दौरान, इस निधि में 2210 करोड़ रुपए का क्रेडिट होने का अनुमान है जिसमें से सामान्य राजस्व द्वारा 1350 करोड़ रुपए अंतरित किए जाएंगे तथा 860 करोड़ रुपए रेलवे के हिस्से के रुप में होंगे। 2002-2003 के दौरान 2210 करोड़ रुपए की निकासी निर्धारित की गई है।

(iii) ***अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं***

(क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भारत के अभिदान/अंशदान के लिए जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों तथा (ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ हुए कतिपय लेनदेन, जिनमें विशेष आहरण अधिकारों का उपयोग अंतर्निहित है, संबंधी अनुमान इस प्रकार हैंः

(करोड़ रुपए)

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	बजट 2001–2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
	प्राप्तियां	भुगतान	निवल	प्राप्तियां	भुगतान	निवल	प्राप्तियां	भुगतान	निवल
1. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष	...	...	...	...	0.80	- 0.80	872.13	...	872.13
2. अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक	0.01	37.60	(-) 37.59	0.01	35.00	- 34.99	82.17	35.00	47.17
3. अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	...	0.56	(-) 0.56	...	0.55	- 0.55	3.75	...	3.75
4. अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि	0.01	6.00	-5.99	19.19	6.00	13.19	20.00	6.00	14.00
5. एशियाई विकास बैंक	20.00	5.00	15.00	22.28	13.43	8.85	10.00	5.00	5.00
6. अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंक	8.77	3.12	5.65	8.80	3.93	4.87	9.81	4.39	5.42
जोड़	**28.79**	**52.28**	**-23.49**	**50.28**	**59.71**	**- 9.43**	**997.86**	**50.39**	**947.47**
एस.डी.आर.	***176.03***	***171.24***	***4.79***	***150.93***	***110.72***	***40.21***	***1013.81***	***1008.85***	***4.96***

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष : कोष के करार-पत्र के मूल्य अनुरक्षण उपबंधों के अन्तर्गत सदस्यों द्वारा सामान्य संसाधन खाते में धारित मुद्राओं के मूल्य को विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर.) के रुप में बनाए रखना जरूरी है और इस उपबन्ध के अनुसार कोष में किसी सदस्य की मुद्रा की धारिता में उस समय समायोजन किया जाता है जब किसी प्रचालन में उस मुद्रा का प्रयोग हो या कोष तथा दूसरे सदस्य के बीच लेन-देन हो अथवा जब कोष ऐसा करने का निर्णय करे या सदस्य ऐसा करने का अनुरोध करे। वर्ष 2001-2002 के दौरान हमने इस शीर्ष के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं रखा है। कोई व्यय नहीं किया गया है और वर्ष के शेष भाग में किसी और व्यय की संभावना नहीं है। वर्ष 2002-2003 में बजट अनुमान के रुप में 872.13 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुमानित है।

आई.एम.एफ. खाता संख्या 1 में रुपया शेष राशियों के कम हो जाने पर 2002-2003 के दौरान आवश्यक हो गए पुनः खरीद लेन-देनों के सम्बन्ध में भा० रि० बैंक के आई.एम.एस. खाता संख्या 1 की पुनः पूर्ति के लिए रुपया प्रतिभूतियों को भुनाना आवश्यक हो गया है। ब०अ० 2001–2002 में शून्य का प्रावधान रखा गया था जिसे 0.80 करोड़ रुपए के लिए सं०अ० 2001–2002 में संशोधित किया था। वर्ष 1991-93 के दौरान अंतः मुद्रा कोष सुविधा के पुनर्खरीद कार्यक्रम को पूरा किये जाने को देखते हुए प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिये बजट अनु. 2002-2003 में इस प्रयोजनार्थ कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

विशेष आहरण अधिकार (एस.डी.आर): भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एस.डी.आर. आवंटन का भागीदार है। 1981 से भारत को आवंटित निवल संचित एस.डी.आर. 681.2 मिलियन बने रहे क्योंकि एस.डी.आर. का कोई नया आवंटन नहीं किया गया। एस.डी.आर. का उपयोग अतिरिक्त अभिदान की अदायगी सहित प्रभारों की अदायगी और पुनः क्रय संबंधी देनदारियों को पूरा करने के लिए किया जाता है।

कोष प्रत्येक धारक को उसके द्वारा धारित एस.डी.आर. पर ब्याज की अदायगी करता है और प्रत्येक भागीदार के निवल संचित आवंटन पर उसी दर से प्रभार लगाता है। कोष सभी भागीदारों के निवल संचित आवंटनों पर उनके एस.डी.आर. खाते के प्रशासन के संबंध में निर्धारण प्रभार भी लगाता है। प्रत्येक वर्ष के फरवरी, मई, अगस्त और नवम्बर के आरम्भ में निवल ब्याज अथवा निवल प्रभारों को व्यक्तिगत धारक खाते को जमा करके अथवा नामे डाल कर तय किया जाता है।

भारत ने उसके द्वारा ली गई विभिन्न सुविधाओं के एवज में पुनःखरीद पहले ही पूरी कर ली है। अतएव, वर्ष 2001-2002 के दौरान इस शीर्ष के अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसी तरह के कारणों के दृष्टिगत वर्ष 2001-2002 में प्रावधान शून्य रहेंगे। और, वर्ष 2002-2003 के बजट में किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

खरीदारी तथा पुनः खरीदारी संबंधी लेन देनों को लोक खाते में विशेष आहरण अधिकार नामक शीर्षक में नामे/जमा के रूप में दिखाया जाता है। विशेष आहरण अधिकारों के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जो अदायगियां की जाती हैं उनको इस शीर्ष के अंतर्गत प्रतिपक्षी नामे डालकर सम्बद्ध व्यय शीर्षों में नामे डाल दिया जाता है। इसी प्रकार, विशेष आहरण अधिकारों के रूप में जो धनराशियां वसूल की जाती है उनको भी इस शीर्ष के अंतर्गत प्रत्यावस्थित आधार पर नामे डालकर सम्बद्ध प्राप्ति शीर्षों में जमा के रूप में दिखा दिया जाता है। विशेष आहरण अधिकार नामक शीर्ष में संशोधित अनुमान 2001–2002 में कुल जमा की गई राशि 150.9302 करोड़ रुपए थी, जिसमें से एस.डी.आर. लेखे को प्रतिपक्षी क्रेडिट किए जाएगे। विशेष आहरण अधिकारों के नामे कुल जमाराशि 2001–2002 के संशोधित अनुमान में 110.7175 करोड़ रुपए बैठती थी जो एस.डी.आर. लेखे में प्रतिपक्षी रूप में जमा की जाएगी। वर्ष 2002-2003 के दौरान 1008.8522 करोड़ रुपए प्रतिपक्षी रुप में जमा किए जाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आई.बी.आर.डी.): अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को अपरक्राम्य और ब्याज-रहित रुपया प्रतिभूतियों के तौर पर की गई मूल्य अदायगियों संबंधी अनुरक्षण के रूप में 2001–2002 के बजट अनुमानों तथा संशोधित अनुमान दोनों में एक लाख रुपए तथा संशोधित अनुमान 2001-2002 में शून्य प्रावधान किया है। तथापि ब०अ० 2002-2003 में इस उद्देश्य के लिए 82.17 करोड़ रुपए रखे गए है।

आई.बी.आर.डी. द्वारा प्रतिभूतियों के नकदीकरण के लिए बजट अनुमान, 2001–2002 में 37.6 करोड़ रुपए की व्यवस्था शामिल थी। सं. अ. 2001–2002 तथा ब.अ. 2002-2003 प्रत्येक में इस प्रयोजनार्थ 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ (आई.डी.ए.): चूंकि भारत को यह भुगतान मांग करने पर करना अपेक्षित था इसलिए ब०अ० 2001–2002 में आई.डी.ए.–12 अभिदान हेतु शून्य व्यवस्था की गई। ब०अ० 2002-2003 के लिए 3.75 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

आई.डी.ए. के संबंध में प्रतिभूतियों के नकदीकरण हेतु ब.अ. 2001–2002 में 56 लाख रुपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया था। सं.अ. 2001–2002 के लिये 55 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। ब.अ. 2002-2003 में कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधिः भारत अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के, जोकि संयुक्त राष्ट्रसंघ का एक विशिष्ट अभिकरण है, आरंभिक सदस्यों में से एक है। इसके आरंभ होने से लेकर 1999-2000 तक, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के संसाधनों में दिसंबर 2001 तक 39 मिलियन डालर का अंशदान किया है। सिवाय 4 मिलियन अमरीकी डालर के जिसे नवंबर, 2001 में पांचवीं पूनर्मूर्ति की पहली किश्त के लिए भा. रि. बैंक के माध्यम से नकद भुगतान किया गया था, भुगतान भा.रि. बैंक द्वारा आईएफडी के पक्ष में धारित अपरक्राम्य अब्याजी रुपया प्रतिभूतियां जारी कर किए जाते है।

एशियाई विकास बैंकः एशियाई विकास बैंक रुपया प्रतिभूतियों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखता है, जिनको समय-समय पर भारत में रुपयों में किए गए खर्च को पूरा करने के लिए भुनाया जा सकता है। इस प्रकार भुनाये जाने के लिए संशोधित अनुमान 2001–2002 में 13.43 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमानों में 5.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैंकः की स्थापना मुख्यतया इस उद्देश्य से की गई थी कि उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता देकर इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से और विकास किया जा सके। अफ्रीकी देशों के साथ घनिष्ठ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत इन दोनों ही संस्थाओं में शामिल हो गया है।

2. अफ्रीकी विकास निधि और अफ्रीकी विकास बैक के सदस्य के रुप में भारत को इन संगठनों के पूंजी पुनर्भरणों की वचनबद्धता के अपने हिस्से का भुगतान करना है। एडीएफ VIII पुनःपूर्ति तक भारत ने अफ्रीकी विकास निधि के संसाधनों में कुल 122.48 करोड़ रुपए की राशि का अशंदान किया है। अफ्रीकी विकास निधि की IX पुनःपूर्ति के लिए बातचीत जारी है। आजतक परामर्शी बैठक के चार दौर पूरे हो चुके हैं। यह अनुमान है कि एडीएफ IX में भारत का अंशदान यूए 42,12,238 अर्थात 25.66 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। यह राशि तीन किश्तों में अदा की जानी अपेक्षित है। एडीएफ IX के अधीन लगभग 9 करोड़ रुपए की पहली किश्त का भुगतान वर्ष 2002-2003 के दौरान देय है। एडीएफ की वर्तमान नकदीकरण समय अनुसूची के आधार पर हमें वर्ष 2001-2002 में 3,11,85,000 रुपए और वर्ष 2002-2003 में 3,57,87,500 रुपए की प्रतिभूतियों का नकदीकरण करना है।

3. जीसीआई-IV तक भारत ने अफ्रीकी विकास बैक के पूंजी स्टाक में 5.40 करोड़ रुपए का अंशदान किया है। जीसीआई-IV के लिए वार्ताएं पूरी हो गई है। अफ्रीकी विकास बैक के पूंजी स्टॉक की पांचवी सामान्य पूंजी वृद्धि (जीसीआई-V) के तहत भारत को 1860 शेयर आंवटित किये गये है। इसमें से 112 शेयर प्रदत्त है तथा शेष 1748 शेयर मांग योग्य है। प्रदत्त शेयरों के प्रति भारत का अंशदान 1 यू.ए. = 1.20635 अमरीकी डालर की नियत विनिमय दर पर यू.ए. 1120000 के समकक्ष 13,51,112 अमरीकी डालर में है। प्रदत्त शेयरों का भुगतान आठ समान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा। अफ्रीकी विकास बैक को मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में मांग पर नकदीकरण कराए जाने वाले नोटों में वर्ष 2001-2002 में 80,81,339 रुपए भी अदा किए गए है।

(V) अन्य मदेंः

इन अनुमानों में, औद्योगिक और कोयला खान श्रमिकों के लिये परिवार पेंशन और जीवन बीमा निधि की जमा धनराशियों के साथ-साथ, डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि तथा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा निधियां केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक के उपक्रमों की जमा राशियां, सुरक्षा जमा, न्यायालय जमा आदि शामिल है। वर्ष 2000-2001 के दौरान कच्चे तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क की कटौती को देखते हुए तेल समन्वय सीमिति के जमा खाते के अधीन बकाया राशियों को अगले वर्ष के खातों में अग्रनीत नहीं किया जा रहा है। यह फ्रोफार्मा आधार पर किया जा रहा है।